

2418
14.25.01
189
पंजीकृत
12-2-07
16-4-07
अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश,

लक्ष्मी काम्पलेक्स, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक- एक-दो-136-84-90(157)/267/2005

दिनांक: 15 जनवरी, 2007

ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी,

जनपद- मेरठ।

विषय: श्री कालीचरन, द्वितीय ए०सी०जे०एम० तत्कालीन सहायक अभियोजन अधिकारी की सेवा गणना विषयक।

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्रांक-एक-दो-136-84-90 (157)/4404/05 दिनांक-1.8.2005 एवं सम संख्यक पत्र दिनांक:-30.1.2006 का संदर्भ लें, जिसके द्वारा श्री कालीचरन, तत्कालीन सहायक अभियोजन अधिकारी की सहायक अभियोजन अधिकारी पद पर नियुक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर सेवापुस्तिका तैयार कराकर सम्बंधित अवधि सत्यापित करते हुये डुप्लीकेट सेवा पुस्तिका श्री के०सी० श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को उपलब्ध कराने तथा कृत कार्यवाही से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण में श्री कालीचरन, तत्कालीन सहायक अभियोजन अधिकारी की दिनांक:-15.4.1991 से 30.9.1991 तक की सेवा निदेशालय के अभिलेखों के आधार पर सत्यापित की जा रही है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि श्री कालीचरन, तत्कालीन सहायक अभियोजन अधिकारी की सेवा पुस्तिका पुनः निर्मित कराते हुए उक्त आशय की प्रविष्टि, जनपद-मेरठ में नियुक्ति अवधि, जनपद मेरठ में आगमन, वार्षिक वेतनवृद्धि, मेरठ से न्यायिक सेवा हेतु कार्यमुक्त किए जाने आदि सूचनाओं का अंकन एवं दिनांक-1.10.1991 से 23.4.1992 तक की सेवाओं को भी सत्यापित करते हुये सेवापुस्तिका निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(सुजान वीर सिंह)

अपर निदेशक अभियोजन

उ०प्र०, लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या:-18330/चार-2561 प्रशा०(ए) दिनांक-4.12.2006 के क्रम में।
2. संयुक्त निदेशक अभियोजन, मेरठ परिक्षेत्र मेरठ।

7 FEB 2007

For information only

(सुजान वीर सिंह)

अपर निदेशक अभियोजन

उ०प्र०, लखनऊ।